		म जारी हुए
08.11.2021	प्रार्थी बगाराम पुत्र पुखाराम जाति सीरवी निवासी जेलवा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प बीजासनी में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जेलवा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 100 रकबा 0.5097 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 101 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.5016 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.4611 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.4611 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, कुल खसरा 17 कुल रकबा 5.3880 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता पुखाराम पुत्र पनाराम की थी। पुखाराम का देहान्त करीब 30 वर्ष पूर्व हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम बगाराम के बजाय बगदाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बगाराम है तथा सरकारी दस्तावेज भी बगाराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में बगदाराम पुत्र पुखाराम के स्थान पर बगाराम पुत्र पुखाराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी बगाराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी बगाराम के आधारकार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत बीजासनी द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में बगदाराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम बगाराम के बजाय बगदाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम जेलवा तहसील बिलाड़ा की भूमि	

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 100 रकबा 0.5097 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 101 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.5016 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.4611 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.4611 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, कुल खसरा 17 कुल रकबा 5.3880 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में बगदाराम पुत्र पुखाराम के स्थान पर बगाराम पुत्र पुखाराम जाति सीरवी निवासी जेलवा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम बीजासनी में खुले में सुनाया गया।

~~उपखण्ड अधिकारी~~
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा